



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अमेठी, तहसील : गौरीगंज
वाद संख्या :- 2527/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- 202247150012527
अक्षय प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत। समारम्भ जनकल्याण समिति जागों गोद, गौरीगंज जनपद अमेठी तहसील गौरीगंज ग्राम अलीपुर गाटा सं० सं० 30/0.0062, 32/0.0127, 35/0.0442, 36/0.0665, 37/0.0285, 38/0.0442, 39/0.0095, 58/0.0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, 64/0.2720, 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51मि./0.0058, 54मि./0.0038 हे० कुल 19किं० 0.8290 हे० भूमि गौरीगंज जनपद अमेठी तहसील गौरीगंज ग्राम अलीपुर परगना गौराजामों तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी को अकृषिगत भूमि निर्धारित किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार गौरीगंज द्वारा निर्णय किया गया।

तहसीलदार गौरीगंज द्वारा स्थलीय जाँच कराने के उपरान्त आख्या दिनांक 14.07.2022 प्रस्तुत की गयी।

तहसीलदार गौरीगंज की आख्या दिनांक 14.07.2022 का आदेशानुसार जांच किया गया। जिससे स्पष्ट है तहसीलदार गौरीगंज ने अपनी आख्या में कहा है कि गाटा सं० 30/0.0062, 32/0.0127, 35/0.0442, 36/0.0665, 37/0.0285, 38/0.0442, 39/0.0095, 58/0.0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, 64/0.2720, 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51मि./0.0058, 54मि./0.0038 हे० कुल 19किं० 0.8290 हे० पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। गाटा संख्या 30/0.0062, 32/0.0127, 35/0.0442, 36/0.0665, 37/0.0285, 38/0.0442, 39/0.0095, 58/0.0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, 64/0.2720, 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51मि./0.0058, 54मि./0.0038 हे० कुल 19किं० 0.8290 हे० पर वादी द्वारा बाउण्ड्रीवाल व रानी गणेश कृषि भवन का निर्माण कार्य किया गया है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि निर्धारित है एवं निम्नलिखित रकित है। सर्फिस रेट से एक प्रतिशत मु० 30673.00/- रुपये होता है जिससे वादी द्वारा जरिये चालान भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके चालान गौरीगंज तहसील प्रस्तुत की गयी है तथा न्यायालय शुल्क मु०- 30673/- रुपये जरिये चालान अदा किया गया है।

तहसीलदार गौरीगंज की आख्या के अनुसार वादभूमि गाटा सं० 30-0.0062, 32/0.0127, 35/0.0442, 36/0.0665, 37/0.0285, 38/0.0442, 39/0.0095, 58/0.0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, 64/0.2720, 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51मि./0.0058, 54मि./0.0038 हे० कुल 19किं० 0.8290 हे०

पृष्ठ संख्या :

1106

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : अमेठी, तहसील : गौरीगंज
वाद संख्या : - 2527/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202247150012527
अक्षय प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 1106

0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, 64/0.2720, 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51नि./0.0055, 54नि./0.0038हे० कुल 19किता 0.8290हे० का प्रयोजन कृषि कार्य से भिन्न होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाने का

औचित्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में उद्धारमण जनकल्याण समिति जामों बगैठ जनपद अमेठी द्वारा अध्यक्ष अक्षय प्रताप सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह नि०ग्राम जामों परगना गौराजामों तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी ग्राम अलीपुर परगना गौराजामों तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी की खतीनी 1428-1431फ० के खाता संख्या 00026 पर अंकित गाटा सं० 30/0.0062, 32/0.0127, 35/0.0442, 36/0.0865, 37/0.0286, 38/0.0442, 39/0.0095 व खाता संख्या 00241 पर अंकित गाटा सं० 58/0.0440, 59/0.0630, 61/0.1100, 63/0.1770, व खाता संख्या 00151 पर अंकित गाटा सं० 64/0.2720 व खाता संख्या 00150 पर अंकित गाटा सं० 44/0.0228, 45/0.0228, 46/0.0264, 47/0.0228, 48/0.0354, 51नि./0.0055, 54नि./0.0038हे० कुल 19किता 0.8290हे० अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि इस वाद से सम्बन्धित किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने पर यह आदेश न्यायालय के आदेश से अधीन होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार गौरीगंज को नामान्तर वही व खतीनी में अमलदरामद हेतु भेजा जाय। यदि आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।



Handwritten signature and stamp of the court official.

Handwritten signature and text: उपजिलाधिकारी गौरीगंज-अमेठी।

340
17/07/2022
23-7-2022
23-7-2022
23-7-2022

पृष्ठ संख्या :